

न्याया0: अष्टम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

क - /न्याया./2017

रायपुर, दिनांक 05.10.2017

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-रायपुर (छ0ग0)

विषय :- प्रकरणों की विशेष सूची तैयार किये जाने बाबत्।

माननीय महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष 5 से 10 वर्ष के मध्य एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की विशेष सूची तैयार की गई है, जिन्हें दिन-प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जायेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य न हो जावे। इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन दिये बिना विचारण पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण सूची, प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

विशेष सूची (अस्थायी)

क्र0	प्र0क्र0	पक्षकार	वादी अधिवक्ता	प्रतिवादी अधिवक्ता	संस्थित दिनांक	आगामी तिथि	वर्तमान स्थिति
1	45ए/14	हरमिंदर बनाम हरदीप	श्री ओ.पी. नायक	प्रति.क. 1,2 श्री राकेशपुरी, प्रति.क. 3,4 एकपक्षीय, प्रति. क. 5 श्री रविन्द्र सिंह, प्रति.क. 6 अनुपस्थित।	24.01.14	06.11.17	वादी साक्ष्य हेतु
2	56बी/11	जी.के.मोटर्स बनाम प्राईम इस्पात लि.	श्री राकेश सिंह	श्री महेशमणी	06.11.11	07.11.17	वादी साक्ष्य हेतु

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

अष्टम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायपुर (छ0ग0)

- प्रतिलिपि :-**
1. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, संबंधित अधिवक्ता को सूचित करने तथा आवश्यकता अनुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु।
 2. कार्यालय/न्यायालय नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
 3. प्रस्तुतकार, काजलिस्ट बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
 4. कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय के वेबसाईट में उपलब्ध करवाये जाने हेतु।

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

अष्टम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायपुर (छ0ग0)